न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 71/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/63)

मखन सिह पुत्र श्री इन्दर सिंह जाति बावरी निवासी ततारसर तहसील रायसिहनगर जिला अनूपगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत बगीचा तहसीलदार रायंसिहनगर जरिए सरपंच पंचायत बगीचा तहसील रायसिहनगर जिला अनूपगढ।
2. करनैल सिह पुत्र श्री इन्दर सिह जांति बावरी निवासी ततारसर तहसील रायसिहनगर जिला अनूपगढ।
3. मिठू सिह पुत्र श्री इन्दर सिह जांति बावरी निवासी ततारसर तहसील रायसिहनगर जिला अनूपगढ।
4. नसीब कौर पत्नी स्व. श्री जय सिह जांति बावरी निवासी ततारसर तहसील रायसिहनगर जिला अनूपगढ।
5. राजू पुत्र श्री स्व.जय सिह जांति बावरी निवासी ततारसर तहसील रायसिहनगर जिला अनूपगढ।
6. श्याम सिह पुत्र स्व. श्री जय सिह जांति बावरी निवासी ततारसर तहसील रायसिहनगर जिला अनूपगढ।
7. माया पुत्री स्व.श्री जय सिह नाबालिग जरिए कुदरतवा माता नसीब कौर पत्नी स्व श्री जय सिह जांति बावरी निवासी ततारसर तहसील रायसिहनगर जिला अनूपगढ।
8. जंगीर कौर पत्नी श्री इन्दर सिह जाति बावरी निवासी ततारसर तहसील रायसिहनगर जिला अनूपगढ।
9. गुरदयाल सिह पुत्र श्री इन्दर सिह जाति बावरी निवासी ततारसर तहसील रायसिहनगर जिला अनूपगढ।
10. प्रतीम सिह पुत्र श्री इन्दर सिह जाति बावरी निवासी ततारसर तहसील रायसिहनगर जिला अनूपगढ।
11. गुड्डी पत्नी सुखराम पुत्री श्री इन्दर सिह जाति बावरी निवासी 40 एनपी तहसील रायसिहनगर जिला अनूपगढ।
12. रामप्यारी पत्नी हरी सिह पुत्री इन्दर सिह जाति बावरी निवासी 6 एमएलडी तहसील घड़साना जिला अनूपगढ।
13. सरजीत कौर पुत्री श्री इन्दर सिह पत्नी नामनामालूम जाति बावरी निवासी जालवाली तहसील घड़साना ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिहनगर।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री महेन्द्र बिश्नोई – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय **दिनांकः 09.07.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ) रायसिंहनगर के मुकदमा नं. 06/12 निर्णय दिनांक 23.07.2012 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 23.07.2012 विरूद्व अपील पेश कर निर्णय दिनांक 23.07.2012 को निरस्त कर ग्राम पंचायत बगीचा द्वारा दर्ज इन्तकाल संख्या 126 दिनांक 20.6.1997 की वसीयत को गवाहो एवं मृतक इन्दर सिंह के वारिसो को सुनकर निर्णय पारित करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स के निमित नोटिस जारी किये गये तथा अखबार में भी नोटिस प्रकाशन करवाये गये। बावजूद उपस्थित नही होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 13 विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाइ गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 3 तथा 4 ता 7 के पती व पिता जयसिंह तथा 8 ता 14 के पति व पिता इन्दर सिह के नाम से चक 50 एन पी तहसील रायसिहनगर का पुराना मु. नं. 39 नया 64 के 25.00 बीधा नहरी खातेदारी भूमि थी। इन्दर सिह ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि की एक वसीयत दिनांक 09.01.1976 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 तथा 4 ता 7 के पति व जयसिह के नाम से निष्पादित कर दी। इन्दर सिह की मृत्यु के बाद वसीयत बाबत नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके विचाराधीन रहते हुए राजस्व वाद व सिविल वाद स्थगन होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 3 के नाम से दर्ज करने का आदेश दिया। अपीलान्ट के हक मे इन्दर सिह ने दिनांक 09.01.1976 को वसीयत चक 50 एन पी के मु. नं. 39 के 24 बीधा की करवाई। इन्दर सिह की मृत्यु दिनांक 15.05.96 को हो गई। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार मु. नु. 58 व 64 बरूये रिकार्ड जंगीर कौर पत्नी इन्दर सिह, मक्खन सिंह, मिठू सिह, करनैल सिह,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जयसिह, गुरूदयाल सिह, प्रीतम सिह, प्रीतम, गुड्डी, रामप्यारी, सरजीतकौर, पि. इन्दर सिह कौम बावरी साकिन दैह हर दस बहिस्सा, बराबर–बराबर खातेदार दर्ज है। इस आधार पर पारित किया गया आलौच्य आदेश खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट है कि उक्त अचल सम्पति को लेकर विभिन्न न्यायालयो मे मामला विचाराधीन है जिसमे उक्त सम्पति विवादग्रस्त है ऐसे उक्त आदेश देकर मुकदमे बाजी को बढावा मिलता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.07.2012 को निरस्त फरमाया जाकर ग्राम पंचायत बगीचा द्वारा दर्ज इन्तकाल संख्या 126 दिनांक 20.6.1997 की वसीयत को गवाहो एवं मृतक इन्दर सिंह के वारिसो को सुनकर निर्णय पारित किये जाने का आदेश फरमावे।

5. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया है कि उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर द्वारा मखनसिह बनाम ग्राम पंचायत वगैरह संबधी अपील संख्या 3/2012 में दिनांक 22.05.2012 को पारित निर्णय में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 126 दिनांक 20.06.1997 को निरस्त किया गया व तहसीलदार रायसिहनगर को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया कि विवादित भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 09.01.1976 के गवाहान व मृतक इन्दरसिह के समस्त जायज वारिसान को सुनकर निर्णय पारित किया जावे। तहसीलदार रायसिहनगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2012 में विधिनुरूप न तो वसीयत के तथ्यो का विवेचन किया गया व न ही वसीयत के गवाहान व मृतक इन्दरसिह के समस्त जायज वारिसान की विधिवत सुनवाई की जानी पाई गई। तहसीलदार रायसिहनगर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर द्वारा निरस्त नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 20.06.1997 को बहाल कर दिया गया, जो विधिविरूद्व है व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के प्रतिकूल है। उक्त तथ्यो व विवेचन के मध्यनजर न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) रायसिहनगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2012 बहाल रखे जाने योग्य नही

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पाया गया है। उक्त विवेचन व विश्लेषण के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2012 को निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण तहसीलदार रायसिहनगर को उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर के निर्णय दिनांक 22.05.2012 की विधिनुसार पूर्ण पालना की जाकर प्रकरण के विधिवत निस्तारण हेतु रिमाण्ड किया जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर